

सेवाने
अंचल अधिकारी
करकम सीडी

Edul

निषेध - भूमि का भापी प्रतिवेदन

महाशय, उपर्युक्त निषेध के से संबन्धित आवेदक अमित कुमार पान्डेय पिता काली पान्डेय निवासी कदमाखुर्द जिला हजारीबाग का मौजा कदमाखुर्द थाना हजारीबाग थाना नं० 82 रकबा नं० 13 प्लॉट नं० 44 रकबा 0.65 डी० का नापी आवेदक तथा द्वितीय पक्ष निलाम्बर पान्डेय पिता महावीर पान्डेय 2-प्रमोद पान्डेय पिता स्व० गौरी शंकर पान्डेय एवं अजय बजाल के विषय में व्यक्तिगतों की उपस्थिति में दिनांक 10-11-2018 को किया गया। नापी का विवरण निम्न प्रकार है: चौखरी-32-सुरूप सिंह द० अजरनाथ सिंह द० कस्बरी खास द० अन्वुल मजिद री० है।

1- उक्त आवेदित रकबा नं० 13 प्लॉट नं० 44 रकबा 0.65 डी० भूमि का आवेदक द्वारा कागजात प्रस्तुत किया गया, कागजात को देखने के पश्चात उक्त भूमि आवेदक के चचेरा दादा रामशहाय पान्डेय पिता प्रयाग पान्डेय के नाम पर खतिवान में दर्ज है। तथा उक्त भूमि तीन भाग में बटा हुआ है। जो आवेदक को अमित कुमार पान्डेय पिता काली पान्डेय का छोटा हिस्सा बनता है। लेकिन आवेदक ने पूरे भूमि [रकबा 0.65 डी० का नापी हेतु आवेदन किया है।

2- उक्त भूमि पर कुआँ बना हुआ है, तथा कुआँ पर जाने के लिये लम्बा 113 फीट चौड़ा 5' फीट शस्ता के लिये खोदा गया है। कुआँ की भूमि 20' फीट लम्बा 19 फीट चौड़ा 20 x 19 = 380 वर्ग फीट तथा शस्ता की भूमि 565 वर्ग फीट कुल 945 वर्ग फीट शस्ति 0.52 डी० 75 वर्ग फीट पर सभी आंबादारों का डक एवं हिस्सा है।

3- उक्त भूमि का नापी के पश्चात सरजमीन पर निम्नित कर पत्र ड बाइका दिया गया तथा आवेदक एवं द्वितीय पक्षों को जमाना से अकजत करा दिया गया।

अतः श्रीमान को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना दी

Edul
Amin
5-12-18